Q (1.) भारतीय संविधान में शिक्षा के समवर्ती स्तर को बताइये।

Ans:- भारत के संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा से संबंधित कार्यों और दायित्वों का वर्णन किया गया है। इसलिए सरकार केन्द्रीय, राज्य एवं स्थानीय तीनों स्तर पर शिक्षा से संबंधित सभी कार्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगी। भारत का संविधान एक संघीय संविधान है जिसमें केन्द्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों को बाँटा गया है। इस बंटवारे के कारण भारतीय संविधान में तीन सूचियाँ तैयार की गई है। इनके अनुसार संघ एवं उनके अधीनस्थ शैक्षिक क्रियाकलापों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन की योजना प्रस्तुत की गई है। यद्यपि हमारे संविधान में 1935 के भारत सरकार अधिनियम को शब्दशः स्वीकार किया है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक राज्य सरकार को शिक्षा के प्रति जवाबदेह ठहराया गया है, किन्तु कुछ कार्य एवं उत्तरदायित्व केन्द्र सरकार के प्रति भी सुनिश्चित किये गये है। इससे संबंधी तीन सूचियां निम्नलिखित है :-

(1) केन्द्रीय सूची :- इस सूची के अन्तर्गत जो विषय शामिल है, उन विषयों के संदर्भ में केन्द्र सरकार कानून निर्मित कर सकती है। इनमें से प्रविष्टि 62, 63, 64, 65 एवं 66 शिक्षा से संबंधित है, जिन्हें केन्द्र सरकार स्वतंत्र रूप से अपने अधीन रख सकती है। प्रमुख प्रविष्टियाँ निम्न है।

(a) प्रविष्टि 63 - इस प्रविष्टि का राष्ट्रीय महत्व की शिक्षा संस्थाओं एवं अन्य विधि सम्मत तरीके से संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय संस्थाओं के वर्चस्व की देख रेख एवं सुरक्षा का कार्य सुनिश्चित किया है।

(b) प्रविष्टि 64 - "भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित वैज्ञानिक या प्राविधिक शिक्षा की संस्थाएँ और संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थायें।

(2) राज्य सूची :- संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 की धारा 57 द्वारा शिक्षा संबंधी प्रविष्टि 11 का लोप किया गया है और शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। रीति नीति का निर्धारण केन्द्र के हाथ में है और विवाद की स्थिति में केन्द्र का निर्णय/कानून ही मान्य होगा परन्तु अभी भी प्रत्येक राज्य शिक्षा क्षेत्र का संचालन कर रहा है। इस राज्य सूची में 66 विषय उद्धृत है, जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाने का निर्णय लेने को स्वतंत्र है। इस संदर्भ में 12 वी प्रविष्टि में व्यक्त किया गया है कि राज्य सरकार शिक्षा के साथ-साथ निम्नलिखित के प्रति भी उत्तरदायी हैं - राज्य नियंत्रित या वित्त पोषित पुस्तकालय, संग्रहालय, या अन्य समतुल्य संस्थायें, जो संसद द्वारा विधि

सम्मत या अधीनस्थ हों तथा राष्ट्रीय महत्व की घोषित की गई हो, से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक भवन और अभिलेख।

③ समवर्ती सूची :- समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 25 का यह उल्लेख "सूची 1 की प्रविष्टि 63, 64, 65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शिक्षा जिसके अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय हैं, श्रमिकों का व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण।" इसका अर्थ यह हुआ जब भी शिक्षा के संबंध में कोई वाद-विवाद होगा तो केन्द्र का कानून एवं अभिमत सर्वोपरि होगा। यह स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र के वर्चस्व को पुष्ट करती है॥-

संविधान में इस सूची के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों का समावेश किया गया है :-

(a) आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन

(b) व्यावसायिक एवं प्राविधिक प्रशिक्षण।

(c) वैज्ञानिक अनुसंधान।

(d) प्राविधिक शिक्षा।

(e) हिन्दी भाषा का विकास एवं समुन्नयन।

(f) राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण।

(g) संस्कृत साहित्य का संरक्षण।

(h) विकलांग शिक्षा का विकास।

(i) शैक्षिक अनुसंधानों का विकास।

(j) अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक हितों की रक्षा।

(k) अनुसूचित जातियों, क्षेत्रों एवं वर्गों हेतु शिक्षा का विकास।

(l) राष्ट्रीय एवं संवेगात्मक एकता।

(m) प्रगतिशील छात्रों हेतु छात्रवृत्ति व्यवस्था।

(n) सतत व्यवसायिक शिक्षा।

(o) केन्द्रीय अनुसंधान एवं अभिकरणों की स्थापना।

(p) 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा।

Q(2.) राज्य के नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या करें ?

Ans :- किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व है। सर्वप्रथम ये आयरलैंड के संविधान में लागू किये गये थे। ये वे तत्व है जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए है। इन तत्वों का कार्य एक जनकल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक शामिल किए गये है। भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते है। इन तत्वों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का वास्तविक तत्व निहित है। निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व है, जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है।

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है।

जनकल्याणकारी राज्य वह है जो जनकल्याण हेतु ही अस्तित्व में आया है यह दो कार्य करता है।

① दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य तथा कानून व्यवस्था बनाये रखना।

② जनता के आर्थिक सामाजिक विकास को बढ़ावा देना।

इसका अर्थ यह है कि आर्थिक विकास व्यक्तिगत मामला नहीं रहकर राज्य की जिम्मेदारी है कि वह व्यक्तियों के आर्थिक विकास को बढ़ाने का कार्य करे। इन नीति निर्देशक के आधार पर राज्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए है जिन पर उसे चलना है। ये तत्व एकीकृत सामाजिक, आर्थिक प्रशासनिक कार्यक्रम का निर्धारण भी राज्य हेतु करते है।

इन तत्वों की प्रकृति :—

अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व किसी न्यायालय में लागू नहीं करवाये जा सकते यह तत्व वैधानिक न होकर राजनैतिक स्वरूप रखते है तथा मात्र नैतिक अधिकार रखते है। वे न तो कोई वैधानिक बाध्यता ही राज्य पे लागू करते है न जनता हेतु अधिकार, कर्तव्य। वे मात्र राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश है कि राज्य कुछ ऐसे कार्यों को जो राज्य की जनता के लिए लाभदायक हो। इन निर्देशों का

पालन कार्यपालिका की नीति तथा विधायिका की विधियों से हो सकता है।

मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में भेद :—

① मौलिक अधिकार राज्य की नकारात्मक भूमिका का वर्णन करते हैं तथा राज्य को कुछ विशेष कृत्य करने से रोकते हैं। वहीं ये तत्व राज्य की सकारात्मक भूमिका, दायित्व का वर्णन करते हैं तथा राज्य से अपेक्षा करते हैं कि वह जनकल्याण हेतु विशिष्ट प्रयास करें।

② मौलिक अधिकार देश में राजनैतिक जनतंत्र स्थापित करते हैं वहीं ये तत्व देश में सामाजिक आर्थिक जनतंत्र लाते हैं।

③ मौलिक अधिकार जनता को दिये जा चुके हैं वहीं निर्देशक तत्व निर्देशात्मक हैं जो ~~नये~~ अधिकारों की चर्चा तो करते हैं परन्तु वास्तव में देते कुछ नहीं हैं।

④ मौलिक अधिकार कड़े वैधानिक शब्दों में वर्णित हैं जबकि तत्व मात्र सामान्य भाषा में।

⑤ दोनों की न्यायालय में स्थिति पूर्णतः भिन्न है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व 39 ब तथा स है। अनु 39 ब के अनुसार राज्य के संसाधन इस प्रकार प्रयोग हो कि उनका लाभ जनसंख्या के सभी भागों को प्राप्त हो। अनु 39 स कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन के केन्द्रीयकरण को रोकता है।

अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में प्राप्त करने लायक तो नहीं बताते हैं परन्तु देश के शासन में इन्हें मौलिक रूप में निहित मानते हैं। यह राज्य का कर्तव्य है कि वह इन तत्वों को अपनी नीतियों तथा संसद द्वारा बनाये कानून में स्थान दे।

अनुच्छेद 31 स के अनुसार कोई विधि जो अनुच्छेद 'ब' 'स' को प्रभावित करती है किसी भी न्यायालय में परीक्षित नहीं की जा सकेगी। केशवानंद भारती वाद में इस संशोधन को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अनु 31 स के प्रथम भाग को बचा लिया किन्तु दूसरे भाग को इस आधार पर खारिज कर दिया क्योंकि वह न्यायपालिका की पुनरीक्षण शक्ति छीन लेती है जो कि संविधान के मूल ढाँचे का अंग है।

Q(3.) शिक्षा के अधिकार नियम 2009 पर टिप्पणी लिखें :-

Ans:- वास्तव में शिक्षा जो एक संवैधानिक अधिकार था उसे अब एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में शुरुआत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत मान्यता दी गई थी जिसके अनुसार "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, शिक्षा और बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता करने के लिए काम करते है।"

शिक्षा का अधिकार से तात्पर्य शिक्षा को एक अधिकार के रूप में प्रदान करना है। सरकार ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए अलग-अलग कदम उठाए और इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए तथा शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए 2002 में संविधान के (86वें संशोधन) अधिनियम भाग III में एक नई धारा 21 A जोड़ी गई। इस धारा के अधीन निम्न प्रावधान बनाए गए। —

1. प्राथमिक शिक्षा अब सभी का मूलभूत अधिकार है।
2. 6-14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी।
3. यह एक कानून है। इसे एक संकल्प के रूप में अवश्य ही लागू करना होगा।
4. भारत में प्रत्येक राज्य की अलग संरचना व वातावरण होने के कारण राज्य अपने अनुरूप इसे लागू कर सकते है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम :—

—— x —— x —— x ——

शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के समग्र विकास तथा सशक्तिकरण के लिए आधारभूत मानव मौलिक अधिकार है। यूनेस्को की शिक्षा के लिए वैश्विक मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2010 के मुताबिक, लगभग 135 देशों ने अपने संविधान में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है तथा मुफ्त एवं भेदभाव रहित शिक्षा सबको देने का प्रावधान किया है। भारत ने 1950 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए संविधान में प्रतिबद्धता का प्रावधान किया था। इसे अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है।

12 दिसम्बर 2002 को संविधान में 86 वां संशोधन किया गया। और इसके अनुच्छेद 21A को संशोधित करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है।

बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत छः से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को पूर्णतः मुफ्त एवं अनिवार्य कर दिया गया है। अब यह केन्द्र तथा राज्यों के लिए बाध्यता है कि मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा सभी को सुलभ हो सके।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं :-

① 6 से 14 वर्ष तक के हर बच्चे के लिए नजदीकी विद्यालय में मुफ्त आधारभूत शिक्षा अनिवार्य है।

② इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से रोका जा सकेगा।

③ यदि 6 से अधिक उम्र का कोई बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलवाया जाएगा।

④ इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय भी खोलना होगा। अधिनियम के तहत यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहाँ पर तीन वर्षों के तय अवधि में विद्यालय का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है।

⑤ इस अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने की जिम्मेदारी केन्द्र एवं राज्य सरकार, दोनों की है, तथा इसके लिए होने वाला धन खर्च भी इनकी समवर्ती जिम्मेदारी रहेगी।

यह अधिनियम माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अधिनियम का सर्वाधिक लाभ श्रमिकों के बच्चे, बाल मजदूर, प्रवासी बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई अथवा लिंग कारकों की वजह से शिक्षा से वंचित बच्चों को मिलेगा। भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाने का कदम ऐतिहासिक कहा जा सकता है तथा यह तय हो गया कि देश सहस्राब्दी विकास लक्ष्य तथा सभी के लिए शिक्षा के नजदीक पहुँच रहा है।

Q(4.) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या - क्या प्रावधान किए गए हैं?

Ans:- सन् 1985 ई० में तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने की घोषणा की थी। मई 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज प्रकाशित किया गया और नवंबर 1986 में इसकी कार्य योजना प्रकाशित की गई।

"नई शिक्षा नीति (1986) हमारे देश के लिए एक वरदान साबित हुई है।" इस कथन को शिक्षा नीति के विशेषता के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है।

(1) राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा को विशेष महत्व :- किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है। इस शिक्षा नीति में शिक्षा को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर इतना महत्व दिया गया और शैक्षिक नीतियों के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। शिक्षा के विभिन्न पक्षों के सुदृढ़ीकरण और उन्हें देशकाल की परिस्थिति के अनुकूल बनाने का निश्चय किया गया।

(2) शिक्षा की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था - इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के भौतिक, आध्यात्मिक साँस्कृतिक एवं आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अतः राष्ट्रीय में शिक्षा की व्यवस्था के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना स्वीकार किया गया।

(3) सम्पूर्ण राष्ट्र में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू :- इस शिक्षा नीति से पूर्व भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अलग-अलग प्रकार की शैक्षिक संरचना थी। इस शिक्षा नीति में 10+2+3 शिक्षा संरचना समूचे देश के लिए स्वीकार की गई।

(4) व्यवसायिक शिक्षा को प्रमुखता - शिक्षा प्रणाली ने व्यवसायिक शिक्षा को अधिक प्रमुखता दी है। इस प्रणाली के द्वारा छात्र स्वयं के प्रति जागरूक होगा। कार्यानुभव के अँतर्गत ट्रेडों के द्वारा अपनी रुचि के अनुसार व्यवसाय प्रारंभ कर सकेगा। इस व्यवसायिक कुशलता के द्वारा देश में व्याप्त बेरोजगारी को समाप्त किया जा सकता है।

(5) शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल - नई शिक्षा नीति में असमानता को दूर करने तथा उन लोगों को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने पर बल देगी, जिन्हें समानता से दूर रखा गया है। नारियों, अनुसूचित जाति और विकलांगों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की जायेगी व सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान किया जायेगा।

(6) शिक्षकों के स्तर व शिक्षक-प्रशिक्षण में सुधार पर बल - इस शिक्षा नीति में, शिक्षकों के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए उनके वेतनमान बढ़ाए जायेंगे और सेवा शर्तों को आकर्षक बनाया जाएगा, की घोषणा की गयी।

प्रत्येक जिला में। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET) की स्थापना की जायेगी जिसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।

(7) परीक्षा प्रणाली एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार :- इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है कि मूल्यांकन को एक सतत प्रक्रिया बनाया जायेगा और बाह्य मूल्यांकन के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन को अधिक महत्व दिया जायेगा।

(8) उच्च शिक्षा का प्रसार व उन्नयन :- वर्तमान समय में उच्च शिक्षा के प्रचार व उन्नयन पर जोर दिया जायेगा। उच्च शिक्षा संस्थाओं की सुविधाओं के विस्तार व सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जायेगा।

(9) पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था - इस स्तर की शिक्षा में शिशुओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास, भोजन, वस्त्र, सफाई और पर्यावरण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा तथा इनके लिए खेलकूद व व्यायाम की उचित व्यवस्था की जायेगी। इस स्तर की शिक्षा के बुनियाद को मजबूत किया जायेगा, जिससे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके।

(10) नवोदय विद्यालय की स्थापना :- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किए गए संकल्प (गति - निर्धारक) विद्यालय की स्थापना को पूरा करने के लिए नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क व आवासीय पढ़ाई की व्यवस्था होगी। ये विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से संबंधित होंगे। इस विद्यालय में छात्र - छात्राओं को आवास, भोजन, पुस्तकें, पाठ्य सामग्री तथा गणवेश भी निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।

अतः हम कह सकते हैं कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हर प्रत्येक पहलुओं पर विचार - विमर्श का उनकी समस्याओं हेतु समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया है। वह चाहे पाठ्यक्रम हो या पाठ्य - पुस्तक या फिर शिक्षक व शिक्षण संबंधी हो। इस नीति में यह 'होना चाहिए' के स्थान पर 'किया जायेगा' पर बल दिया गया है।

Q(5.) माध्यमिकशिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) की व्याख्या करें ?

Ans:— स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप में नवीन विचारों, मूल्यों एवं परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। जिसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यक्ष डॉ० ए० एल० मुदालियर की अध्यक्षता में वर्ष 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। यह आयोग मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप, उसकी विशेषताओं, कमियों एवं आवश्यक परिवर्तन को जानने की दृष्टि से मुदालियर आयोग का गठन किया गया था। चूंकि माध्यमिक शिक्षा निचले स्तर पर प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च स्तर पर विश्वविद्यालय से जुड़ी होती है। इस कारण केवल माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप पर केंद्रित सुझाव देना पर्याप्त नहीं था। इसी कारणवश मुदालियर आयोग ने प्राथमिक एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा का एक नवीन स्वरूप प्रस्तुत किया जो निम्नलिखित है :-

(1) माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष की होनी चाहिए।

(2.) माध्यमिक शिक्षा को अवधि निम्न दो स्तरों में विभक्त की जानी चाहिए :—

(a) 3 वर्ष का मिडिल या जूनियर माध्यमिक या सीनियर बेसिक स्तर।

(b) 4 वर्ष का उच्चतर माध्यमिक स्तर

(3.) डिग्री कोर्स की अवधि 3 वर्ष की कर दी जानी चाहिए।

(4.) माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक की अवस्था के बालक-बालिकाओं के लिए होनी चाहिए।

(5.) वर्तमान इंटरमीडिएट कक्षाओं को भंग कर दिया जाना चाहिए। उनकी 11 वीं कक्षा को हाई स्कूल से तथा 12 वीं कक्षा को कॉलेज से संबंद्ध कर दिया जाना चाहिए।

(6.) ग्रामीण स्कूलों में कृषि शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार करना चाहिए। अतः इन स्कूलों में उद्यान-विज्ञान, पशुपालन एवं कुटीर उद्योग-धंधों की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(7.) बहुउद्देशीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए। इन स्कूलों में पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण किया जाना चाहिए ताकि छात्र अपने विभिन्न उद्देश्यों, रुचियों और योग्यता के अनुसार

पाठ्यक्रम का चयन कर सके।
(8) औद्योगिक क्षेत्रों में टेक्निकल स्कूलों की स्थापना ज्यादा संख्या में की जानी चाहिए।
(9) सब बालिका विद्यालयों में बालिकाओं को गृह-विज्ञान के अध्ययनों की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
(10) बड़े नगरों में प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण किया जाना चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य :—

(1) व्यवसायिक कुशलता में उन्नति :— माध्यमिक शिक्षा का पहला उद्देश्य छात्रों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना होना चाहिए अतः माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक एवं व्यवसायिक विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। इन विषयों की शिक्षा से छात्र और देश दोनों का हित होगा।
(2) नेतृत्व का विकास :— माध्यमिक शिक्षा का दूसरा उद्देश्य छात्रों में नेतृत्व ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा का आयोजन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे छात्र सामाजिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक व्यावसायिक और राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व का दायित्व ग्रहण कर सके।
(3) जनतंत्रीय नागरिकता का विकास :— माध्यमिक शिक्षा का तीसरा उद्देश्य छात्रों में जनतंत्रीय नागरिकता का विकास करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे छात्रों में अनुशासन, देश-प्रेम, सहयोग, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास हो।
(4) व्यक्तित्व का विकास :— माध्यमिक शिक्षा का चौथा और अंतिम उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होना चाहिए। अतः माध्यमिक शिक्षा का संगठन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे छात्रों का बौद्धिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक विकास हो सके।

Q(6.) राममूर्ति निरीक्षण कमेटी 1990 पर नोट लिखिए।

Ans:- मई 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई और उसी वर्ष नवम्बर माह में इसकी कार्ययोजना प्रकाशित की गई, और 1987 में इसे क्रियान्वित करना शुरू कर दिया गया। इसी बीच 1989 में केन्द्र में राष्ट्रीय मोर्चा सत्ता में आ गया। सरकार के बदलते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवाजें उठी। और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मई 1990 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया। इसे राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 कहा जाता है। सरकार ने इस समिति को तीन कार्य सौंपे :-

(1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना।
(2) 1986 की नीति में संशोधन के लिए सुझाव देना।
(3) संशोधित नीति के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।

समिति ने अपनी रिपोर्ट :- "प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर" शीर्षक से 26 दिसम्बर, 1990 में प्रस्तुत की। इस समिति की रिपोर्ट के प्रारंभ में यह स्वीकार किया गया है कि 1986 के बाद देश की स्थिति और अधिक खराब हुई है, सांस्कृतिक मूल्यों का पतन हो रहा है। समता के स्थान पर वर्ग-भेद बढ़ रहा है। इस समिति ने सम्पूर्ण अध्ययन करने के उपरान्त यह पाया कि 5 मुद्दे ऐसे हैं जिनका हल नहीं निकल पाया जो कि निम्न है :-

(1) निरक्षरता को दूर करना।
(2) शिक्षा को रोजगारमूलक बनाना।
(3) सामाजिक समानता लाना।
(4) देश के सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना।
(5) संकुचित विचारधारा, क्षेत्रवाद, ईर्ष्या देष की भावना का संघर्ष।

इन समस्याओं का हल निकालने के लिए आयोग ने निम्न सुझाव दिये।

(1) वित्त संबंधी सुझाव :- आयोग ने देखा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए 7.86 प्रतिशत की व्यवस्था की गई थी। जो कि 1985-90 में 3.55 प्रतिशत रह गई। धन की कमी के कारण शिक्षा में गुणात्मक सुधार नहीं हो पा रहा है। इसलिए शिक्षा के लिए कम से कम 6 प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिये।

(2) पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव व समीक्षा - शिशु देखभाल व शिक्षा (Early Childhood Care and Education) - ECCE को बढ़ावा

दिया जाये तथा आँगनबाड़ी को प्रोत्साहित किया जाये। ECCE को न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम में जोड़ा जाये। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के पास शिशु देखभाल व शिक्षा केन्द्र खोले जायें।

③ प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव :— प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाये। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को गति प्रदान की जाए। प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन की समस्या का समाधान किया जाये।

④ माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव :— 1986 की नीति की समीक्षा के उपरान्त पाया कि 1990 तक 10+2+3 योजना ठीक से लागू नहीं हो पायी है। 26 प्रतिशत नवोदय विद्यालय खोले गये थे जहाँ पर 25 प्रतिशत छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य था वहीं पर केवल 2.5 प्रतिशत छात्र ही उसका लाभ उठा पा रहे हैं। इसलिए नवोदय विद्यालय का पुनर्गठन किया जाये। नवोदय विद्यालय की गुणवत्ता में सुधार किए जाये, आगे नवोदय विद्यालय न खोले जाये।

⑤ उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव :— 1986 की नीति के अध्ययन में पाया कि उच्च शिक्षा का स्तर तेजी से गिर रहा है। उच्च शिक्षा में प्रवेश के नियम ठीक नहीं हैं व विश्वविद्यालय नियमों का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए समिति ने सुझाव दिया कि प्रवेश प्रक्रिया चयन प्रक्रिया के अनुसार हो। मान्यता देने के लिए कठोर नियम बनाये जाये व जो मानक पूरे न कर रहे हों, उनकी मान्यता निरस्त कर दी जाये। शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नियुक्ति के बाद प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाये।

⑥ प्रौढ़ शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा संबंधी सुझाव :-
बालिका शिक्षा का प्रबंध किया जाये। प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय व श्रम मंत्रालय, इन तीनों के ऊपर होना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा का अधिकार प्रौढ़ों के विकास संबंधी आवश्यकतायें होनी चाहिए।

अतः हम कह सकते हैं कि राममूर्ति कमीशन ने 1986 की नीति बिन्दुओं पर ही विचार किया। उन्होंने कहा कि ये नीति पर अमल नहीं हुआ है अतः होना चाहिए।

Q (7.) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) पर टिप्पणी करें।

Ans:- RMSA 15-16 वर्ष की आयु के सभी युवाओं के लिए अच्छी गुणवत्ता-युक्त माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने, उसमें पहुँच बनाने और उसे वहन करने योग्य बनाने के उद्देश्य से मार्च 2009 में प्रारंभ की गई मुख्य योजना है। वर्ष 2013-14 में केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात स्कूलों में आई-टी, बालिका छात्रावास, माध्यमिक स्तर पर विशेषजनों के लिए समावेशी शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा का RMSA के तहत समावेशन कर दिया गया था।

RMSA के तहत इन योजनाओं के समावेशन से योजनाओं के तहत प्रावधानों का प्रशासनिक सुव्यवस्थिकरण और महत्वपूर्ण वित्तीय बचत हुई। एक तरफ RMSA के तहत निधि की उपलब्धी भी बढ़ी और दूसरी तरफ इन योजनाओं के तहत किए गए हस्तक्षेप, सहायता प्राप्त स्कूलों तक पहुँचे जिसने उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र को भी सम्मिलित किया, RMSA के तहत समावेशन से सहायता प्राप्त स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक क्षेत्र के समावेशन से RMSA का अभिलक्ष्य आधारित कार्यान्वयन भी हुआ।

माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिक करण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसे सर्व शिक्षा अभियान-2 भी कहते है की शुरुआत की। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य माध्यमिक कक्षाओं (कक्षा 9-10) के स्तर को ऊँचा उठाना है। माध्यमिक शिक्षा का दृष्टिकोण अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा 14-18 आयु वर्ग के युवाओं को प्रदान करने से है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किये जाने है:-

(1) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अनुसार प्रत्येक 5 किलोमीटर पर माध्यमिक विद्यालय तथा 7-10 किलोमीटर पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिये।

(2) माध्यमिक शिक्षा वर्ष 2017 तक सार्वभौमिक रूप से प्राप्त कर ली जायेगी।

(3.) समाज में आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, बालिकाएँ तथा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले असहाय बालकों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना।

* राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य :-

(1) सरकारी, अर्ध-सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाये ताकि माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें तथा अन्य सामग्री उपलब्ध हो सके।

(2.) प्रत्येक 5 किलोमीटर पर माध्यमिक विद्यालय तथा 7-10 किलोमीटर पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाये ताकि सभी छात्रों को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध हो सके।

(3.) ऐसे उपाय किये जायें ताकि लिंग, सामाजिक-आर्थिक स्तर, अक्षमता अन्य किसी भी आधार पर बालक को माध्यमिक शिक्षा से वंचित न किया जाये।

(4) बौद्धिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिगम के द्वारा माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।

(5) यह निश्चित करना कि सभी छात्र जो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह उत्तम गुणवत्ता की है।

तथापि, अभी तक सहायता प्राप्त स्कूलों को दिए जाने वाले लाभ, वर्तमान RMSA के प्रावधानों के मुख्य घटकों के निबंध और अन्य योजनाओं के तहत वर्तमान हस्तक्षेपों तक सीमित होंगे, राज्य स्तर पर अभिसरण से एकीकृत और समावेशी (सहायता प्राप्त स्कूल और उच्चतर माध्यमिक कक्षाएं) योजना बन पाएगी और उसका कार्यान्वयन हो पाएगा।

Q(8.) वैश्वीकरण से आप क्या समझते है ? विस्तार से व्याख्या करें :-

Ans:- वैश्वीकरण लोगों के बीच एकीकरण की एक प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में विभिन्न कम्पनियों, देशों, सरकारों, संस्कृतियों का समन्वयीकरण है, यह राजनैतिक आर्थिक शैक्षिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास की प्रणाली है, आज विश्व को निवेश द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी सहायता प्राप्त करके नागरिकों को प्रेरित कर समृद्ध बनाना मानव समाज की उन्नति करना।

वैश्वीकरण कोई नया सम्प्रत्यय नहीं है, बल्कि यह कई वर्षों से चली आ रही प्रक्रिया है। वैश्वीकरण का अर्थ हम इस प्रकार से लगा सकते है कि आज सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक शैक्षिक संबंध ऐसे है, जो राष्ट्रीय सीमाओं को लाँघकर देशों के बीच की दूरियों और भिन्नता को निर्धारित करती है, दुनिया की इस बदली आत्मनिर्भरता को ही वैश्वीकरण या भूमण्डलीकरण कहा जा सकता है। जीवन के विविध क्षेत्रों में सम्पूर्ण दुनिया के हस्तक्षेप को आज सहज ही स्वीकार कर लिया है यह वैश्वीकरण समकालीन दुनिया की सच्चाई है। इस संदर्भ में महात्मा गाँधी का कथन याद आता है कि "मैं नहीं चाहता कि मेरा मकान चारों ओर दीवारों से घिरा हो, मेरी खिड़कियाँ बंद हो मैं तो चाहता हूँ कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवायें मेरे घर में जितनी भी आजादी से बह सके वहें, लेकिन यह भी नहीं चाहता कि उनमें से कोई हवा मुझे मेरी जड़ों से उखाड़ दें। वैश्वीकरण समता न्याय और विश्व बन्धुत्व के आधार पर होनी चाहिए।

भारतीय प्राचीन ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण की परिभाषाएं प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है।

अथर्ववेद :- सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।।
सभी सुखी रहे, सभी निर्भय रहे सभी का कल्याण हो कोई भी दुखी न हो।

चैम्बर शब्दकोश के अनुसार :- वैश्वीकरण अर्थात विश्वव्यापी बना देना या सम्पूर्ण विश्व अथवा सभी लोगों को प्रभावित करना।

वैश्वीकरण एवं शिक्षा :- जिस प्रकार नये मकान बनाने में नींव का मजबूत होना आवश्यक है उसी प्रकार मनुष्य के बचपन के संस्कार जितने अच्छे होंगे उतना ही उसका जीवन उत्तम रहेगा।

शिक्षा व्यक्तित्व का विकास करती है व्यक्ति राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक होता है। इसलिए पहले व्यक्ति को जागरूक बनाना चाहिए उसे संस्कार, मूल्य, संस्कृति सभ्यता की शिक्षा देनी चाहिए। जैसे मनुष्य का विकास होगा वैसे ही वह विश्व विकास में सहयोग देगा। आज के युग की आवश्यकता है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा इससे मानव का विकास होता है और उसे सम्पूर्ण सृष्टि को जानने की प्रेरणा मिलती है, आज के युग में संस्कृति, सभ्यता मूल्य आधारित शिक्षा से भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य तकनीकी, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा हो गयी है। शिक्षा की इस नयी विचार धारा के विकास के साथ ही साथ वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विकास भी हुआ है, जिससे यह एक दूसरे से प्रभावित होता है। वैश्वीकरण की सफलता का मूलाधार सामाजिक सुव्यवस्था व्यक्ति के आचरण एवं उसके मूल्यों पर निर्भर करती है अतः मानव मूल्य एक ऐसी आचार संहिता या सद्गुण समूह है जिसे अपने संस्कारों तथा पर्यावरण के माध्यम से अपनाकर मनुष्य ने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी जीवन शैली का निर्माण किया है, वैश्वीकरण में अपना योगदान दे रहा है, शिक्षा के माध्यम से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिल रहा है।

वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के वर्तमान समय में जितने लाभ दृष्टिगत होते है वही दूसरी ओर कहीं न कहीं कुछ खतरे भी इसके प्रभाव के कारण उत्पन्न हो गये है। वैश्वीकरण के कारण जीवन में संतोष को सबसे ऊँचा स्थान देने वाली भारतीय सभ्यता एवं शैली में परिवर्तन आ गया है। आज लोग पाश्चात्य जीवन शैली को श्रेष्ठ मानने लगे है। भारतीय मूल्यों के प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होता जा रहा है। आज क्षण प्रति क्षण रूपान्तरित होती जीवन चर्चा में क्या चुने क्या नहीं यह प्रश्न अत्यंत जटिल बन चुका है। न्यून कीमतों में खरीदने की इच्छा स्वदेशी एवं महंगे उत्पाद की तुलना में सस्ते एवं विदेशी उत्पाद को क्रय करने (खरीदने) की इच्छा को बढ़ावा देती है। यहाँ शिक्षा को भी एक उत्पाद के रूप में मान लिया गया है। यह चिन्ता का विषय है कि इसके दूरगामी परिणाम कितने घातक होंगे।

Q(9.) दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं इसकी समस्याओं को दूर करनेवाली विधियों की व्याख्या करें।

Ans:— दूरस्थ शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है - दूर स्थित शिक्षा। दूर का अर्थ है जिसमें समीपता न हो। अर्थात दूर से व्यवहार परिवर्तन, या परिपक्व ज्ञान अध्ययन, कुछ विद्वान इसे दूर अध्ययन व गृह अध्ययन भी कहते हैं।

शिक्षा की निरौपचारिक प्रणाली जिसके द्वारा उन बच्चों, युवकों, प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाती है जो किसी कारणवश शिक्षण संस्थानों से औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और उनमें ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व लगन होती है।

दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता के निम्न कारण हैं :—

① जनसंख्या का विस्फोट :— जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यार्थियों की संख्या में भी वृद्धि होना स्वभाविक है। जितनी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती है उस अनुपात में शिक्षण संस्थान नहीं खोले जा सकते। अतः विद्यार्थियों की बढ़ी हुई संख्या को शिक्षित करने के लिए दूरस्थ शिक्षा आवश्यक है।

② कमाते हुए सीखना :— आधुनिक जीवन कठिन हो गया है। जीवन की आधारभूत आवश्यकतायें इतनी मँहगी हो रही है कि लोगों को कमाते हुए सीखना पड़ता है। इसके लिए नियमित महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। अतः अधिगम के लिए उन्हें सायंकालीन संस्थाओं या पत्राचार कोर्सों की शरण में जाना पड़ता है।

③ स्वतंत्र शिक्षा की इच्छा :— स्वतंत्र रूप से अपनी गति तथा अपने समय के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा ने लोगों को पत्राचार शिक्षा की ओर अग्रसर किया।

④ शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने की इच्छा :— आधुनिक जीवन में सभी तत्व निरंतर जटिल हो रहे हैं परिणामस्वरूप विभिन्न व्यवसायों की शैक्षिक योग्यताओं में परिवर्तन आ गया है। इन परिवर्तनों के अनुरूप अपनी शैक्षणिक योग्यता बढ़ाना प्रत्येक व्यक्ति की स्वभाविक इच्छा है। पत्राचार कोर्स विभिन्न व्यवसायों से संबंधित व्यक्तियों को अपनी शैक्षणिक योग्यताएँ बढ़ाने के अवसर प्रदान करते हैं।

⑤ लचीलापन :— नियमित शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा पद्धति में लचीलापन कम होने के कारण, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है।

दूरस्थ शिक्षा की समस्यायें और उन्हें दूर करने के उपाय :—

① आवश्यकता – आवश्यकता के आधार पर कोर्सों का चयन होना चाहिए। किसी कोर्स को आरंभ करने के पहले इसकी संभावित उपयोगिताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

② पाठ्य - सामग्री की तैयारी की समस्या - पाठ्य सामग्री की तैयारी दूरस्थ शिक्षा की मुख्य समस्याओं में से एक है, पाठ्य सामग्री को प्रादेशिक भाषा में तैयार किया जाना चाहिए।

③ पाठ्य-सामग्री को समय पर तैयार करने और भेजने की समस्या :– इस समस्या को सुलझाने के लिए यह निश्चित किया जाना चाहिए कि पाठ्य - सामग्री को समय पर तैयार किया जाए और उचित रूप में भेजा जाए।

④ डाक संबंधी अधिकारियों के साथ समन्वय की समस्या - पाठ्य सामग्री को भेजने के लिए डाक अधिकारियों के साथ उचित नियोजन एवं समन्वय की आवश्यकता है।

⑤ प्रदत्त कार्यों की नियमित जाँच और उनके आँकलन की समस्या – दूरस्थ शिक्षा की सफलता काफी हद तक ध्यानपूर्वक तैयार किए गए पाठों की नियमित प्राप्ति और छात्रों द्वारा प्रदान कार्यों के ईमानदारी से किए जाने पर निर्भर करती है। पत्राचार संस्थानों में प्रदत्त कार्यों को छात्रों एवं अध्यापक द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। कोई। विश्वविद्यालय द्वारा बल दिया जाना चाहिए कि प्रदत्त कार्यों की कुल संख्या में से कम से कम 50% को छात्रों द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए।

खुली शिक्षा :– खुली अथवा मुक्त शिक्षा दूरवर्ती शिक्षा की वह प्रणाली है जो औपचारिक शिक्षा के बंधनों से मुक्त है, और जिसके द्वार सभी के लिए खुले हैं। मुक्त शिक्षा शिक्षा संबंधी एक नवाचारी आंदोलन एवं शिक्षा सुधार है जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर अधिगम के अवसरों में वृद्धि करता है। इसने आज शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण जगह बना ली है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (N.I.O.S), भारत के मुक्त विद्यालयों की शिक्षा - परिषद है। यह एक स्वायत संगठन है। इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 के नवंबर में हुई थी। इसका उद्देश्य देश के पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा सुलभ कराना है।

Q (10) वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली की चर्चा करें :-

Ans:- वैदिक ~~काल~~ काल शब्द से स्पष्ट होता है कि "वेदों का समय"। वैदिक काल का समय निश्चित करने के लिए अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत है। इस बात को भी सभी विद्वान स्वीकार करते है कि लगभग 2500 ई० पूर्व से 500 ई० पूर्व तक वेदों का वर्चस्व रहा। इसी को वैदिक काल का समय माना जाता है। और इस काल की शिक्षा प्रणाली को वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है। यह शिक्षा प्रणाली वैदिक धर्म व वैदिक दर्शन पर ही आधारित थी।

वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली को ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली तथा हिन्दू शिक्षा प्रणाली भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में ब्राह्मणों का शिक्षा पर एक छत्र अधिकार था। पूरे वैदिक काल में शिक्षा की संरचना समान थी लेकिन समय परिवर्तन व परिस्थिति के अनुसार पाठ्यचर्या व शिक्षण विधियों तथा कला कौशल में कुछ परिवर्तन हुआ। वेदों के अनुसार शिक्षा का अर्थ ज्ञान अथवा विद्या की प्राप्ति है। वेदों में कहा गया है कि "सा विद्या या विमुक्तये" अर्थात विद्या वह है जो कि मुक्ति दिलाती है। वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का नैतिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक शक्तियों का विकास कर मोक्ष प्राप्ति करना था। इसके लिए साधना की जाती थी। जिसके अन्तर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि योग पर विशेष बल दिया जाता था। इस काल में शिक्षा द्वारा आध्यात्मिक और लौकिक जगत के बीच सामंजस्य स्थापित कर धर्म व्यवस्था द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति की जाती थी। तथा शिक्षा को ब्रह्म प्राप्ति का एक साधन माना जाता था।

वैदिक काल में केवल दो प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ① प्रारंभिक शिक्षा ② उच्च शिक्षा।

① प्रारंभिक शिक्षा :- वैदिक काल में प्रारंभिक शिक्षा बच्चे को 5 वर्ष की अवस्था में विद्यारम्भ संस्कार के साथ दी जाती थी।

विद्यारम्भ संस्कार :- यह संस्कार 5 वर्ष की अवस्था में बालक को स्नान कराकर, नये वस्त्र पहनाकर, कुल पुरोहित के पास ले जाया जाता था। कुल पुरोहित किसी वस्त्र में चावल बिछाता था और उस चावल में बालक की उँगली पकड़कर वर्णमाला के आकार बनवाता था तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता था। इस प्रकार बच्चे की नियमित शिक्षा प्रारंभ होती थी।

(2) उच्च शिक्षा :- इस काल में उच्च शिक्षा गुरुकुलों में ही जाती थी। गुरुकुल में प्रवेश की आयु 8 वर्ष से 12 वर्ष थी। गुरुकुल में प्रवेश करते समय "उपनयन संस्कार" कराया जाता था। उपनयन संस्कार - उपनयन का अर्थ है 'समीप लाना' अर्थात गुरु के सम्मुख ले जाना। यह संस्कार ब्राह्मण वर्ग के बच्चों के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय वर्ग के बच्चों के लिए 10 वर्ष तथा वैश्य वर्ग के बच्चों को 12 वर्ष की अवस्था में कराया जाता था। इस दिन बालक का सिर मुंडवाकर पीला वस्त्र धारण कराये जाते थे तथा यज्ञोपवीत (जनेऊ) कराया जाता था। तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने की शिक्षा दी जाती थी।

वैदिककालीन शिक्षा का प्रशासन गुरु पर ही निर्भर करता था क्योंकि गुरुकुल की देखरेख व व्यवस्था करना गुरु का उत्तरदायित्व था। वैदिक काल में शिक्षा को प्रकृति के आधार पर दो रूपों में विभाजित किया गया है।

(1) परा पाठ्यचर्या :- इस पाठ्यचर्या के अंतर्गत आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। जैसे धर्म शास्त्र, नीति-शास्त्र, वेद, उपनिषद, ईश्वर भक्ति, यज्ञ आदि। अर्थात जिनसे आध्यात्मिकता का विकास हो सके।

(2) अपरा पाठ्यचर्या :- इसके अन्तर्गत अन्य विषय जैसे भाषा, साहित्य, संगीत, नृत्य, कताई, बुनाई, धातु कार्य, राजनीति शास्त्र, सैनिक शिक्षा दी जाती थी।

इस प्रकार अंत में कहा जा सकता है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली ही आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव का पत्थर है। वास्तव में देखा जाय तो वैदिक शिक्षा प्रणाली हमारी संस्कृति पर आधारित थी। और हम अपनी संस्कृति से अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमारी शिक्षा का वर्तमान उद्देश्य भी वही है जो वैदिक काल में था। दादा भाई नैरोजी स्मारक व्याख्यान माला में भाषण करते समय श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर ने कहा था - "हम भारतवासियों को अपनी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को पहचानना चाहिए और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को उसकी वास्तविक आत्मा को स्वीकार करना चाहिए।"

Q(11.) वर्धा शिक्षा योजना (बुनियादी शिक्षा) 1937 पर टिप्पणी लिखें।

Ans:- गाँधी जी ने भारतीय शिक्षा में व्याप्त तत्कालीन दोषों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी पहल की। गाँधी जी के शैक्षिक विचार, उनके शिक्षा संबंधी प्रयोगों पर आधारित है। गाँधी जी ने 1936 ई० में 'हरिजन' पत्र द्वारा अपने विचार का प्रचार करना आरंभ किया। 22 व 23 अक्टूबर 1937 में वर्धा के सेठ जमनालाल बजाज के मारवाड़ी हाईस्कूल की रजत जयंती पर नवीन शिक्षा पर विचार करने के लिए गाँधी जी के सभापतित्व में एक 'अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन' का आयोजन किया गया जिसमें देश के शिक्षाशास्त्रियों, राष्ट्रीय नेताओं एवं समाज सुधारक को आमंत्रित किया गया। इसे वर्धा शिक्षा सम्मेलन भी कहा जाता है। गाँधी जी ने इस सम्मेलन में अपने शिक्षा संबंधी विचार व्यक्त किए। सम्मेलन में इस विषय पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ और अन्ततः कुछ प्रस्ताव पारित हुए जिसे बुनियादी शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत की संज्ञा दी गई।

'बेसिक शिक्षा योजना' अथवा 'वर्धा योजना' की रूपरेखा इस प्रकार है :—

① बेसिक शिक्षा की पाठ्यक्रम अवधि 7 वर्ष की है।
② यह शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बालकों और बालिकाओं के लिए निःशुल्क और अनिवार्य है।
③ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है।
④ सम्पूर्ण शिक्षा का संबंध किसी आधारभूत शिल्प से होता है।
⑤ चुने हुए शिल्प की शिक्षा इस प्रकार दी जाती है कि वह बालकों को अच्छा शिल्पी बनाकर, उनको स्वावलंबी बना देती है।
⑥ पाठ्यक्रम में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं है।
⑦ शिल्प को बालकों की योग्यता और स्थान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर चुना जाता है।

उद्देश्य :— वर्धा शिक्षा योजना के निम्न उद्देश्य इस प्रकार है :-
① नागरिकता का विकास — लोगों को शासन के प्रति अपने कर्तव्य व अधिकार के लिए जाग्रत करना।
② शरीर, मन, आत्मा तीनों का विकास :— गाँधी जी एकांगी विकास के पक्ष में न थे, बल्कि वह व्यक्ति के शरीर, मन, व आत्मा का एक साथ विकास करना चाहते थे।
③ चरित्र का विकास :— गाँधी जी ने लिखा है कि यदि मुझे

कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं उत्तर दूंगा कि (चरित्र का विकास)। इसलिए उन्होंने इस उद्देश्य पर अधिक बल दिया है।

④ आत्मबोध :- गाँधी जी ने शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मबोध माना है।

⑤ मानव स्वभाव की पूर्णतया :- गाँधी जी ने शिक्षा का सबसे महान उद्देश्य मानव स्वभाव की पूर्णता कहा है।

बुनियादी शिक्षा का आधारभूत सिद्धांत :-

① निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा - गाँधी जी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। अतः बुनियादी शिक्षा में उन्होंने 7 से 14 वर्ष के बालक - बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का समर्थन किया।

② आत्मनिर्भरता पर आधारित - ब्रिटिश कालीन शिक्षा में बालक को आत्मनिर्भर कम बनाया जाता था क्योंकि वह शिक्षा मुलतः सैद्धांतिक थी जिसका मुख्य उद्देश्य क्लर्क पैदा करना था न कि उसे भावी जीवन के लिए तैयार करना। अतः इस बुनियादी शिक्षा में बालक एवं बालिकाओं को विभिन्न उद्योगों एवं हस्तकलाओं की शिक्षा प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाया जायेगा।

③ शिक्षा का माध्यम मातृभाषा - बुनियादी शिक्षा में अंग्रेजी की जगह मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की वकालत की गई।

④ सामाजिक शिक्षा पर आधारित - बुनियादी शिक्षा में ऐसे समाज का निर्माण करने पर जोर दिया गया है जो स्वार्थ एवं शोषण से रहित प्रेम एवं न्याय पर आधारित हो तथा सत्य एवं अहिंसा का अनुसरण करता है।

⑤ वर्ग रहित समाज का निर्माण - ब्रिटिश कालीन शिक्षा द्वारा भारतीय समाज में वर्ग-भेद पैदा किया जाता था अतः बुनियादी शिक्षा द्वारा वर्ग रहित समाज के निर्माण पर बल दिया गया।

⑥ सम्पूर्ण ज्ञान को एक इकाई में विकसित करने पर आधारित - गाँधी जी ने बुनियादी शिक्षा में सम्पूर्ण ज्ञान को एक पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर जोर दिया।

Q(12.) विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णन कमीशन 1948-49) पर टिप्पणी करें।

Ans:- इस आयोग का प्रमुख कार्य था भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा उन्नति एवं विकास के विषय में सलाह देना था जो देश की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए उपयुक्त हो।

सरकार ने 4 नवंबर 1948 को 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' की नियुक्ति की। इसके अध्यक्ष डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आयोग से लगभग 20 विषयों की जाँच करने के लिए कहा गया था, जिनमें से मुख्य है :—

(1) भारतीय विश्वविद्यालय के संगठन, नियंत्रण, कार्य-क्षेत्र एवं विधान के संबंध में आवश्यक परिवर्तन।
(2) विश्वविद्यालय की शिक्षा की अवधि, माध्यम एवं पाठ्यक्रम।
(3) प्रादेशिक या अन्य आधार पर अधिक विश्वविद्यालय की स्थापना।
(4) भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा एवं अनुसंधान कार्य के उद्देश्य।
(5) विश्वविद्यालयों एवं उनसे संबंद्ध कॉलेजों में शिक्षा एवं परीक्षा के स्तरों में उन्नयन।
(6) छात्रों के अनुशासन, छात्रावासों, उपकक्षा-कार्य आदि का संयोजन
(7) विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा।
(8) अध्यापक की योग्यतायें, सेवा-शर्तें, वेतन, कार्य एवं अधिकार।

आयोग ने इन कार्यों को एक वर्ष से कम समय में ही पूरा कर 25 अगस्त 1949 ई० को अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को भेज दिया।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिशें :—

(1) विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन।
(2) विश्वविद्यालय में कम से कम 180 दिन की पढ़ाई हो यह लगभग 11-11 सप्ताहों के तीन भागों में बँटा होना चाहिए।
(3) प्रशासनिक सेवाओं के लिए विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आवश्यक नहीं है।
(4) शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव।
(5) उच्च शिक्षा के तीन मुख्य उद्देश्य - सामान्य शिक्षण, संस्कृति

शिक्षण और व्यवसायिक शिक्षण हो।
(6) कृषि, वाणिज्य, विद्या, अभियान्त्रिकी तथा प्राविधिक और आयुर्विज्ञान पर अधिक बल देना चाहिए।
(7) विश्वविद्यालय की देख रेख हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – 1953 ई० में राधाकृष्णन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई। 1956 ई० में संसद के अधिनियम के द्वारा आयोग को स्वायत्त पूर्ण परिनियम पद दे दिया गया।
(8) ग्रामीण विश्वविद्यालय :– हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है। अतः उसकी उन्नति एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण कॉलेज एवं ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने चाहिए। ग्रामीण विश्वविद्यालय की आवश्यकता एवं महत्ता पर बल देते हुए आयोग ने लिखा है कि "ग्रामीण भारत की सामान्य उन्नति के लिए कुशलता और प्राविधिक कौशल तथा गुण में निरंतर विस्तार करना होगा। इसको प्रदान करने के लिए और शिक्षित नागरिकों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए ग्रामीण कॉलेज और विश्वविद्यालय की पद्धति आवश्यक है। अतः इस दिशा में कार्य करना वाँछनीय है।
(9) आयोग ने इस संदर्भ में निम्न सुझाव दिये :—
(a) ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे स्नातक पूर्ण कालेजों की स्थापना करके, उनके केन्द्र में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए।
(b) ग्रामीण कॉलेज का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को सामान्य शिक्षा देने के साथ-साथ उनकी व्यक्तिगत रुचियों व मनोवृत्तियों का अधिकतम विकास किया जाना चाहिये।
(c) कॉलेज में पढ़ने वालों की संख्या लगभग 3000 हों और समस्त कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के छात्रों की संख्या 2500 से अधिक न हो।
(d) ग्रामीण विश्वविद्यालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को सामान्य शिक्षा देने के साथ-साथ उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों की समस्या से अवगत करायें तथा उनका निराकरण करने में मार्गदर्शन करें।

Q(13.) भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर कमीशन) 1882 पर नोट लिखिए।

Ans:- सन् 1854 ई० में वुड घोषणा पत्र के अनुसार नई शिक्षा नीति लागू की गई थी। लेकिन सरकार उस नीति को ठीक से लागू नहीं करा पायी तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति नहीं हो पाई। लार्ड रिपन को सबसे अधिक चिन्ता भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास की थी। इसलिए उन्होंने चार्ल्स वुड के घोषणा-पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 ई० में डब्ल्यू. हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग में 7 सदस्य भारत के थे। आयोग को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया था। आयोग को निम्न समस्याओं का अध्ययन करने तथा उन पर अपने सुझाव देने का आदेश दिया गया था।

(1) वुड घोषणा पत्र 1854 का पालन किस सीमा तक हुआ और उस नीति में क्या परिवर्तन आवश्यक है?

(2) भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करना तथा इसके सुधार हेतु सुझाव देना।

(3) भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सरकारी स्कूलों की क्या भूमिका है? इस संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए?

(4) भारतीय शिक्षा व्यवस्था में मिशन स्कूलों की क्या भूमिका है? इस संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए?

(5) भारत में शिक्षा के प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों का क्या योगदान है। तथा इस संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए?

(6) धार्मिक शिक्षा के संबंध में सरकार की नीति क्या होनी चाहिए।

आयोग ने वुड घोषणा पत्र पर गहराई से अध्ययन किया तथा तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का समग्र रूप से अध्ययन किया तथा शिक्षा के सभी बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया और अंत में अपना प्रतिवेदन तैयार कर 1883 में सरकार को सौंपा। यह प्रतिवेदन 770 पृष्ठों का है जिसमें शिक्षा के सभी पहलुओं में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है तथा सुधार के लिए सुझाव दिये गये है:—

आयोग के महत्वपूर्ण सुझाव व सिफारिशें निम्नलिखित है:—

① हाईस्कूल स्तर पर दो प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो। जिसमें एक व्यवसायिक एवं व्यापारिक शिक्षा दिये जाने पर बल दिया जाये तथा दूसरी साहित्यिक शिक्षा दी जाए, जिससे विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु पात्रता मिले।
② प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के महत्व पर बल एवं स्थानीय भाषा तथा उपयोगी विषय में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाये।
③ शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों का स्वागत हो, लेकिन प्राथमिक शिक्षा उसके बजाय भी दी जाये।
④ प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का नियंत्रण जिला व नगर बोर्ड को सौंप दिया जाये।
⑤ सार्वजनिक कालेजों को राजकीय कालेजों की अपेक्षा कम शुल्क लेने का अधिकार प्रदान किया जाए।
⑥ शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया जाये व प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जायें।
⑦ शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो।
⑧ बालक शिक्षा, मुस्लिम बच्चों की शिक्षा तथा पिछड़ेव निम्न जाति के बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाये, तथा इन बच्चों को छात्रवृति दी जाये।

यदि हण्टर कमीशन के सुझाव व सिफारिशों का मूल्यांकन किया जाए तो इस, आयोग ने कुछ घोषणा पत्र 1854 का ही समर्थन किया था। परन्तु साथ ही कुछ सुझाव नये दिये थे जैसे - प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकायों को सौंपना तथा माध्यमिक शिक्षा का भार कुशल एवं धनी व्यक्तियों और निजी संस्थाओं को सौंपना। इन सुझावों का दूरगामी परिणाम निकला। निष्पक्ष दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि हण्टर कमीशन के सुझाव व सिफारिश का लाभ ज्यादा हुआ है और हानियाँ कम हुई है। यदि हानियाँ हुई है तो वह स्थानीय निकायों की लापरवाही के कारण हुई।

अतः हम कह सकते हैं कि हण्टर कमीशन यानि भारतीय शिक्षा आयोग का शिक्षा के प्रचार व प्रसार में व्यापक असर पड़ा।

Q(14.) वुड घोषणा पत्र 1854 की व्याख्या करें।

Ans:- "वुड घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया" वुड घोषणा पत्र 1854 से पूर्व भारतीय शिक्षा प्रणाली का रूप अव्यवस्थित था। केवल अंग्रेजी शिक्षा व संस्कृति का प्रसार करना ही शिक्षा का उद्देश्य था। जिससे की कम्पनी में कार्य करने के लिए अंग्रेज भक्त भारतीय तैयार हो सकें। वुड घोषणा पत्र का उद्देश्य भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान के साथ-साथ नैतिक मूल्यों व बौद्धिक मूल्यों का विकास करना भी था। घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि -" अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय इतना आकर्षण उत्पन्न नहीं करता, जितना कि शिक्षा। यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम समस्त उपलब्ध साधनों से भारतीय प्रजा को अपने सम्पर्क (इंगलैण्ड के) से वह ज्ञान प्रदान करें। जिससे कि वे शिक्षा द्वारा नैतिक एवं नैतिक गुणों से सम्पन्न हो सकें।" इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वुड घोषणा पत्र में पाश्चात्य संस्कृति व शिक्षा के प्रचार के साथ-साथ नैतिक एवं नैतिक गुणों का विकास करना भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। इस दृष्टि से वुड घोषणा पत्र के निम्न उद्देश्य है:—

(1) भारतीय साहित्य को पाश्चात्य दर्शन एवं शिक्षा से सुसज्जित करना।
(2) भारत में परिमार्जित कला, विज्ञान, दर्शन तथा यूरोपीय साहित्य का प्रसार करना।
(3) भारतीय को अंग्रेजी ज्ञान वरदान से उन्नत करना।
(4) भारतीयों में कम्पनी के कार्यालयों में कार्य करने की निपुणतायें विकसित करना ताकि वे रोजगार, श्रम एवं पूँजी आदि शब्दों से परिचित हो सकें तथा श्रमिकों की उचित आपूर्ति जारी रखी जा सके।
(5) भारतीयों को शिक्षा द्वारा उच्च बौद्धिक क्षमतायें ही नहीं बल्कि उनके नैतिक मूल्यों को भी विकसित करना। जिससे वे अधिक विश्वासी सिद्ध हो सकें।

वुड घोषणा पत्र के गुण :—

(1) शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण :— वुड घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया गया तथा शिक्षा नीति का निर्धारण किया गया जिसने शिक्षा को एक निश्चित दिशा प्रदान की।
(2) शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर — भारत के शिक्षा के इतिहास में

पहली बार यह स्वीकार किया गया कि शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। जो वर्तमान परिस्थिति के लिए भी आवश्यक है।

(3) स्त्री शिक्षा पर बल - इस घोषणा पत्र में पहली बार देश की उन्नति के लिए स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। बालिकाओं की शिक्षा के लिए पृथक विद्यालय खोलने की घोषणा की।

(4) व्यवसायिक शिक्षा पर बल - इस घोषणा पत्र में व्यवसायिक शिक्षा के लिए स्कूलों, कॉलेजों तथा पृथक व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव करके देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया।

(5) मुस्लिम शिक्षा पर बल - इस नीति में मुस्लिम बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया क्योंकि उस समय मुस्लिम बच्चों का शिक्षा के प्रति कम आकर्षण था।

वुड घोषणा पत्र के दोष :-

(1) शिक्षा के क्षेत्र में लालफीताशाही :- अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने से शिक्षा के क्षेत्र में लालफीताशाही प्रारंभ हो गया क्योंकि उच्च पदों पर अंग्रेज नियुक्त होते थे तथा कनिष्ठ पदों पर भी अंग्रेज भक्त भारतीय।

(2) प्राच्य साहित्य पर संकट :- अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को रोजगार मिलने के कारण लोग अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता देने लगे तथा भारतीय साहित्य व विद्यालयों का अस्तित्व संकट में आ गया।

(3) सहायता अनुदान की शर्तें कठोर :- इस नीति में सहायता व अनुदान प्रणाली की शुरुवात तो हुई लेकिन शर्तें कठोर थी। जिसका लाभ सभी विद्यालयों को नहीं मिल पाया।

(4) भारतीय विश्वविद्यालय के आदर्श लंदन विश्वविद्यालय - घोषणा पत्र में नये विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सुझाव दिया तथा उसकी कार्यप्रणाली व संरचना तथा आदर्श लंदन विश्वविद्यालय को रखा गया जो कि भारतीय वातावरण व परिस्थिति के अनुसार नहीं था।

(5) शिक्षा के संकुचित उद्देश्य :- वुड घोषणा पत्र में शिक्षा का संकुचित उद्देश्य नजर आता है क्योंकि इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी ज्ञान प्राप्त करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना था।

Q(15.) शिक्षा में तकनीकी सशक्तीकरण की व्याख्या करें।

Ans:- शिक्षा तकनीकी सशक्तीकरण :- किसी भी देश के विकसित होने का अर्थ उस देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास से होता है। आज का युग संचार प्रौद्योगिकी विज्ञान तकनीकी का युग है। तकनीकी के बिना किसी भी देश और उसके समाज के विकसित होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 21 वीं शताब्दी में नई तकनीकी का विस्फोट हुआ है जिसने मानव जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित किया है, अभिनव परिवर्तन पद्धति में देश के सभी स्तर पर परिवर्तन किये जायें ताकि ज्ञानवान समाज की स्थापना हो सके, तकनीकी नवाचार के उचित प्रयोग से शिक्षण अधिगम तथा प्रशिक्षण में सफलता एवं कुशलता संभव है।

शिक्षा तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है शिक्षा + तकनीकी। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है आत्म साक्षात्कार है व्यक्ति को निस्वार्थी बनाती है। तकनीकी का संबंध कौशल तथा दक्षता से है। वैज्ञानिक ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग करना। शिक्षा तकनीकी - शिक्षा के क्षेत्र में मशीनों नवीन कलाओं, कौशलों, नवीनता का प्रयोग, शिक्षा तकनीकी का आधार विज्ञान तथा तकनीकी है। यह मनोविज्ञान समाजशास्त्र इंजिनियरिंग तथा भौतिक विज्ञान से सहायता लेती है। एस० एस० कुलकर्णी के अनुसार - "तकनीकी तथा विज्ञान के अविष्कारों तथा नियमों के शिक्षा की प्रक्रिया में प्रयोग को शिक्षा तकनीकी कहा जाता है।

शिक्षा में मशीनों का प्रयोग करना शिक्षा तकनीकी है शिक्षा का प्रसार करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण (टेप रिकार्ड, कम्प्यूटर) का प्रयोग करना, शिक्षा तकनीकी में अनेक प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षण के लिए प्रारूप तैयार करना छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उपकरणों के माध्यम से ज्ञान का सुदृढ़ीकरण करना शिक्षा तकनीकी का कार्य है।

तकनीकी सशक्तीकरण का शिक्षा में योगदान :-

तकनीकी ने मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित किया है यह शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रान्ति ला रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी ने नये प्रतिमानों को स्थापित किया है शिक्षा एवं शिक्षा प्रक्रिया शिक्षण अधिगम को सरल एवं सहज बना दिया है। तकनीकी के उचित प्रयोग से शिक्षण अधिगम तथा प्रशिक्षण में

कुशलता प्राप्त संभव है व्यक्ति को अपने विचारों को तकनीकी यंत्रों के माध्यम से दूर बैठे अन्य व्यक्ति तक पहुँचाने में सहायता मिलती है।

सामाजिक क्षेत्र में योगदान - समाज के क्रियाकलाप कुछ इस तरह से है कि सभी को समान अवसर नहीं मिल पाते तकनीकी सशक्तीकरण ने सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है आज वे लोग भी आसानी से अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने में सक्षम है जिन्हें समाज में किन्हीं कारणवश पूर्ण अवसर नहीं मिलते सामाजिक क्रियाकलापों में तकनीकी यंत्रों से लोगों को सहायता मिल रही है।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयोगी तकनीकी के माध्यम से अधिगम कर्ता को मानसिक संतुष्टि प्रदान की जा सकती है, जो छात्र, अध्यापक की बातों को ~~समझकर~~ अच्छी प्रकार से नहीं ग्रहण कर पाते या अध्यापक छात्र मनोविज्ञान को नहीं समझ पाते तब तकनीकी इस कार्य को बहुत ही सहज एवं सरल बना देती है।

शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है शिक्षा द्वारा मानव में सामाजिक गुणों का विकास किया जाता है उसे पूर्ण सामाजिक प्राणी बनाने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण घटक के रूप में कार्य करती है, व्यक्ति में ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक भावों का विकास कर मानव व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने में हर संभव प्रयासरत है।

शिक्षा मानव व्यक्तित्व में मानवीय गुणों, मानवीय मूल्यों, अवधारणा, प्रकृति एवं वर्गीकरण के लिए आवश्यक है। शिक्षा के द्वारा मानव के विभिन्न पक्षों का विकास होता है, विभिन्न योग्यतायें शक्तियों का विकास होता है, जो सशक्तिकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा सशक्तीकरण करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, शिक्षा की ज्योति जलाकर, मानव जीवन रोशनी करता है, इस शिक्षा व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सशक्त बनाती है।